

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प: 22(14)न्याय / 2018

जयपुर, दिनांक 16 SEP 2019

आज्ञा:

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में समिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/ सुश्री/ श्रीमती/ डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	सुनिल मुवोल कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	1. आर.जे.एस. मुख्य परीक्षा, 2018 2. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2018

शर्तः-

- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

—३—

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग/ रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव